ायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 118/2017
दिनांक 15.6.2017
इस न्यायालय में दर्ज प्र.स. 46/22
प्रकरण दायर दिनांक 03.01.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 01.04.2022

उनवान

1. श्री हरसहाय पुत्र कालू उर्फ काल्या उम्र 65 साल जाति बैरवा निवारी चान्देरा तहसील वसवा जिला दौसा
—: वादी

बनामः–

1. रामफुल पुत्र कालू उर्फ काल्या उम्र 50 साल
2. बद्री पुत्र कालू उर्फ काल्या उम्र 80 साल
3. प्रभातीलाल उर्फ प्रभात्या पुत्र कालू

जाति बैरवा निवारी चान्देरा तह० वसवा जिला दौसा।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वसवा दौसा।
5. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय बसवा।

:– प्रतिवादीगण

" दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा "

::निर्णय::

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वास्ते दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का न्यायालय उप–जिला कलेक्टर वादीकुई में दिनांक 21.11.2017 को इस आशय का निम्न प्रकार पेश किया कि ग्राम कोलेश्वर खुर्द पटवार हल्का रेहडिया तहसील वसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 55 पुरानी 48 खसरा न. 346 रकवा 0.21 हे खसरा नं.347 रकवा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.40 है0 वार्षिक लगानी 2.40 रूपये उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा है। भूमि मुतदाविया का सरस नरस के अनुसार विधिवत तकासमा कियात जाकर वादी के 1/4 हिस्से का अलग चक व अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर वादी की अलग पास बुक जारी की जावे। भूमि मुतदाविया में वादी के कब्जे काश्त उपभोग में मजामहत पैदा करने से दवामी तौर पर पावन्द किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन नोटिस तलवी करवाई गई प्रतिवादी प्रतिवादी की ओर से भवानी सहाय एडवोकेट द्वारा वकालत नाम पेश किया गया शेष तामील होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी की औेर से जवाव पेश नही किया गया दिनांक 9.02.2018 जवाब बंद किया गया दिनांक 04.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प चान्देरा में पक्षकारान को सुनवाई हेतु बुलवाया गया पक्षकारान द्वारा विवादित आराजी का उभय पक्ष को सुनने व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादीगण प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार वसवा को आदेश दिया कि विवादित भूमि पर दोनो पक्षो की उपरिथति में कुर्रेजात तैयार कर भिजवाया जावे। पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2022 को स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। दिनांक 17.9.2019 को तहसीलदार वसवा द्वारा पत्रावली पर कुर्रेजात प्रस्ताव उपलब्ध करवाये गये जो निम्न हैः–

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

क्र.स.	हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदारी खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	कुर्रेजात के अनुसार खातेदार का विवरण क.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	बदरी, हरसहाय प्रभात्या रामफुल पि. काल्य कौम बैरवा सा. चान्देरा	346 347	0.21है 0.19	मु.जमा मु. जमा	1	हरसहाय पुत्र काल्या जाति बैरवा सा. चान्देरा	347 / 1	0.10	मु.जमा
						योग	किता1	0.10	–
	योगः–	किता 2	0.40 है.	–	2	प्रभात्या ,बदरी, रामफुल पि. काल्या जाति बैरवा सा. चान्देरा	346 347 / 2	0.21 0.09	मु.जमा मु.जमा
						योग	किता 2	0.30	

वकील वादी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात पर सहमती प्रकट की गई। प्रतिवादी उपस्थित नही है। हमने तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रेजात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया कुर्रेजात में नोट अंकित है कि वादी एवं प्रतिवादी के समक्ष कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये गये है। तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है ग्राम कोलेश्वर खुर्द पटवार हल्का रेहडिया तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 55 पुरानी 48 खसरा न. 346 रकवा 0.21 है खसरा नं.347 रकवा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.40 है0 भूमि का तहसीदार वसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार तकास्मा किया जावे। तहसीलदार वसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे, अंतीम पर्चा डिकी एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया ।

(भावना शर्मा)
आरएएस
सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक
बांदीकुई जिला दौसा

कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई